आलोक कुमार
(आई.ए.एस.)
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14--अशोक मार्ग
लखनऊ–226 001
e-mail: chairmanuppcl@gmail.com
:0522-2287827,Fax: : 0522-2287785

संख्याः 458 /आर--एपीडीआरपी/ दिनांकः 14/5/2018

अतिमहत्वपूर्ण

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / मध्यांचल / पूर्वांचल / केस्को
विद्युत वितरण निगम लि०,
मेरठ / आगरा / लखनऊ / वाराणसी / कानपुर।

विषय :औद्योगिक संयोजनों हेतु विकसित निवेश मित्र पोर्टल (उ0प्र0) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश।

उ०प्र० सरकार द्वारा उद्यमियों हेतु नये विद्युत संयोजनों के ऑनलाइन आवेदन के लिए उद्योग बन्धु के माध्यम से सिंगल विंडो निवेश मित्र पोर्टल (http://niveshmitra.up.nic.in) विकसित कराया गया है।

उपर्युक्त पोर्टल द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रदत्त पोर्टल (apps.uppcl.org/eodb/frmLogin.aspx) के माध्यम से ऑनलाइन ससमय निर्गत किया जाना है। इस वेब एप्लीकेशन पोर्टल को www.uppcl.org पर प्रदत्त लिंक के माध्यम से निवेश मित्र टैब द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या 1488/77–6–18–08(एम)/2012 टी०सी०–8(कैबिनेट) दिनांक 9 अप्रैल 2018 (संलग्न) के द्वारा निवेश मित्र पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन सम्बन्धी दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिसकी छायाप्रति आपके सभी वितरण इकाईयों को अग्रसारण एवं इससे सम्बन्धित सभी बिन्दुओं पर प्रभावी क्रियान्वयन एवं सतत अनुश्रवण हेतु प्रेषित है।

औद्योगिक संयोजनों को निर्गत करने हेतु उ0प्र0 सरकार की अति महत्वकांक्षी योजना निवेश मित्र पोर्टल का सतत् अनुश्रवण मुख्यमंत्री कार्यालय एवं शासन द्वारा किया जा रहा है। अतः यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है निवेश मित्र द्वारा आवेदित संयोजनों का ससमय निस्तारण हो।

अतः आप को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त शासनादेश में दिये गये समस्त दिशा निर्देशों का पालन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित करायें एवं निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से नये औद्योगिक संयोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित समय अवधि में संयोजन निर्गत कराना सुनिश्चित करायें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

Managing Director
UPPCL

प्रतिः
1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य स्तर–I एवं II), उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

संख्या-1488/77-6-18-08(एम)/2012टी.सी.8(कैबिनेट)

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ.प्र. ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उ.प्र. ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊःदिनांक 09 अप्रैल, 2018

विषय :सिंगल विण्डो पोर्टल को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धांत।

महोदय,

उपर्युकत विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में अधिकाधिक औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से शासन द्वारा निर्गत "*उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017*" के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के सरलीकरण, सर्वोत्तम समयबद्ध मानदण्डों के अनुरुप स्वीकृति/सुविधा सेवाएं ससमय सुनिश्चित करने एवं निवेशपरक वातावरण बनाये जाने पर विशेष बल दिया गया हैं। इस हेतु मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी औद्योगिक सेवाओं/ स्वीकृतियों/अनुमोदनों/अनुमतियों/लाइसेंस को ऑनलाइन तथा एक स्रोत से प्रदान करने के आशय से प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग बन्धु में एक सशक्त ऑनलाइन सिंगल विण्डो पोर्टल-निवेश मित्र विकसित किया गया है।

2. इस नवनिर्मित वेब पोर्टल के अन्तर्गत सर्वनिष्ठ आवेदन प्रारूप के माध्यम से विभागीय अनुमतियों, अनापत्तियों, पंजीयन, लाइसेन्स आदि प्राप्त करने हेतु ऑन लाइन आवेदन करने तथा सम्बन्धित विभागों से समन्वय का कार्य संपादित करने एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु उद्योग बन्धु को प्राधिकृत संस्था नामित किया जाता है।
3. यह वेब पोर्टल तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

4- **पोर्टल पर ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की जाती हैं-**

(4.1) औद्योगिक इकाइयों को ऑन लाइन सिंगल विण्डो पोर्टल- निवेश मित्र व्यवस्थान्तर्गत "सर्वनिष्ठ आवेदन प्रपत्र (Common Application Form)" व्यवस्था का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा जिसके

अन्तर्गत उद्यमियों को आवेदन प्रपत्रों में अंकित कॉमन फील्ड केवल एक बार ही भरनी होगी जो की यथावश्यकता संबंधित आवेदन प्रपत्रों में स्वतः प्रदर्शित हो जायेगी।

(4.2) सर्वप्रथम पोर्टल पर उद्यमी द्वारा पंजीकरण कराया जायेगा, पंजीकरण करते ही उद्यमी की पंजीकृत ई. मेल पर उसका यूज़र आई.डी. व पासवर्ड तथा एक एकाउन्ट वेरीफिकेशन लिंक उपलब्ध होगा। उक्त लिंक पर क्लिक करने पर पंजीकृत मोबाइल नं. पर ओ.टी.पी. प्रदर्शित होगा, जिसको पोर्टल पर अंकित करने के पश्चातू उद्यमी अपनी प्रोफाईल अपडेट करेगा, जिसके उपरान्त उसे अपने लॉगिन आई.डी. पर एक डैश-बोर्ड उपलब्ध हो जायेगा जिसमें उसे, उसके द्वारा किये गये आवेदन से संबन्धित समस्त कार्यवाहियों की अद्यतन स्थिति ज्ञात हो सकेगी।

(4.3) औद्योगिक इकाईयों के लिए समस्त विभागीय अनुमतियों, अनापत्तियों, पंजीयन, लाइसेन्स आदि प्राप्त करने हेतु ऑन लाइन सिंगल विण्डो पोर्टल पर ही आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसके क्रियान्यवन हेतु सभी संबंधित विभाग अपने विभागीय पोर्टल पर औद्योगिक इकाईयों के आवेदन प्रपत्र सिंगल विण्डो पोर्टल-निवेश मित्र के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से बनायेगें ।

(4.4) ऑन लाइन सिंगल विण्डो पोर्टल में यह व्यवस्था होगी कि उद्यमी द्वारा सर्वनिष्ठ आवेदन प्रारूप भरने एवं प्रोफाइल अपडेट करने के पश्चात उद्योग की प्रकृति एवं श्रेणीनुसार संबन्धित विभागों से प्राप्त होने वाली अनुमतियां, अनापत्ति, पंजीयन, लाइसेन्स के आवेदन प्रारूप का विवरण उद्यमी को अपने लॉगिन आई.डी. पर दिखायी दे जिसके अन्तर्गत उद्यमी उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार चिन्हित कर पृथक-पृथक आवेदन पत्रों का अवलोकन एवं आवेदन कर सकेगें।

(4.5) आवेदन पत्र खोलने के पश्चात वे सूचनाएं जो उद्यमी द्वारा सर्वनिष्ठ आवेदन प्रपत्र में भरी गयी थीं, वह स्वतः उन आवेदन-पत्र में भरी हुई होंगी, उन्हे बार-बार भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

(4.6) उद्यमी को सम्बन्धित आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों को अपलोड किये जाने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

(4.7) उद्यमी को फार्म भरने में आने वाली व अन्य कठिनाइयों के सम्यक निवारण हेतु उद्योग बन्धु की हैल्प लाइन सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।इसके लिये न्यूनतम दो कार्मिकों को उद्योग बन्धु में सहायक के रूप में सेवायोजित किया जाएगा। इसका स्वरूप एवं संरचना कॉल सेन्टर के सादृश्य होगी।

5- ऑन लाइन भुगतान की प्रक्रिया

(5.1) ऑन लाइन सिंगल विण्डो पोर्टल व्यवस्थान्तर्गत आवेदन करने के साथ विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क के ऑन लाइन भुगतान यथा-इन्टरनेट बैकिंग, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से किये जाने हेतु 'पेमेन्ट गेट-वे' सुविधा अनुमन्य करते हुये, सार्वजनिक क्षेत्र एवं रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अधिसूचित शैड्यूल्ड बैंकों से भुगतान प्राप्त करने/भुगतान करने के लिये उद्योग बन्धु अधिकृत होगें।

(5.2) ऑन लाइन सिंगल विण्डो पोर्टल में यह व्यवस्था होगी कि वांछित अनुमति, अनापत्ति, पंजीयन, लाइसेन्स इत्यादि हेतु विभागवार निर्धारित शुल्क के साथ-साथ समेकित शुल्क का विवरण उद्यमी को दृष्टब्य हो ताकि उद्यमी द्वारा उसका भुगतान एक मुश्त अथवा प्रपत्र-वार ऑनलाइन किया जा सके, जोकि

आर.बी.आई. की गाइडलाइन्स के अनुरूप स्वतः ही उद्योग बन्धु-निवेश मित्र के पूल खाते में क्रेडिट हो जायेगी।

(5.3) उद्योग बन्धु-निवेश मित्र के पूल खाते मे क्रेडिट हुई उक्त समेकित धनराशि में सें राज्य सरकार के संबन्धित विभागों के लेखा शीर्ष में समतुल्य धनराशि कोषागार में अथवा राज्य सरकार के अधीन निगम, बोर्ड, प्राधिकरण के विनिर्दिष्ट बैंक खातो में, उद्योग बन्धु-निवेश मित्र के पूल खाते को संचालित कर रहे बैंकों द्वारा हस्तांतरित की जायेगी। उक्त समेकित शुल्क/धनराशि का विभागवार विवरण भी ज्ञात किया जा सकेगा।

(5.4) उक्त की सूचना समस्त विभागों को स्वतः ऑन-लाइन सम्प्रेषित हो जायेगी।सभी संबंधित विभागो द्वाराउद्योग बन्धु-निवेश मित्र के पूल खाते में प्राप्त धनराशि को संबंधित कार्य हेतु प्राप्त मानते हुए आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

(5.5) सिंगल विण्डो सिस्टम में उद्यमियों द्वारा ऑन-लाइन भुगतान करने हेतु निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगेः-

(5.5.1) पेमेन्ट गेटवे सुविधा (Payment Gateway facility)- इसके अन्तर्गत उद्यमी वीजा/मास्टर डेबिट/ क्रेडिट कार्ड आदि का प्रयोग कर भुगतान कर सकता हैं।

(5.5.2) नेट बैंकिग (Net Banking)-सुविधा के अन्तर्गत उद्यमी सार्वजनिक क्षेत्र एवं रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अधिसूचित शैड्यूल्ड बैंक (लगभग 40 मान्यबैंकों) के माध्यम से भुगतान कर सकता है।

(5.6) उद्यमी द्वारा जमा कराई गई फीस की धनराशि के सम्बन्धित विभाग के खाते में हस्तान्तरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत बैंको को पोर्टल के माध्यम से प्रतिदिन एक ई-मेल स्वतः उपलब्ध कराई जायेगी, जिसमें पूर्व दिनांक में उद्यमियों से प्राप्त शुल्क की एम.आई.एस. उपलब्ध होगी।

(5.7) संबंधित बैंको द्वारा इस ई-मेल में इंगित प्राप्त शुल्क को निम्न व्यवस्था अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा:-

(5.7.1) सम्बन्धित उन विभागो जिनके खाते बैंक में हैं, उनके बैंक खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से हस्तांतरण किया जाएगा

(5.7.2) सम्बंधित उन विभागो जिनके कोषागार खाते हैं, उनके कोषागार (E-Rajkosh) में ट्रेजरी चालान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जनरेट कर E-Net/Net Banking के माध्यम से संबंधित विभागों के कोषागार स्थित खातों में धनराशि हस्तांतरित किया जायेगा।

(5.8) बैंको द्वारा Transfer प्रक्रिया के दौरान किये गये प्रत्येक Transaction का एक पृथक Unique Transaction Reference (UTR) Number स्वतः generateहोगा जो कि Enterprenur Id, Service Id and Unit Ids से मैप होगा। बैंको द्वारा स्वतः generated UTR No.के माध्यम से बनाई गई एम. आई.एस. पोर्टल पर स्वतः अपलोड होगा, जिसका उपयोग सम्बन्धित विभाग द्वारा उद्यमी से आवेदन पत्र के सापेक्ष प्राप्त शुल्क की धनराशि के reconciliation हेतु किया जा सकेगा। इसी UTR No.के माध्यम से बनाई गई एम.आई.एस. का उपयोग उद्यमी भी उसके द्वारा भुगतान की गई फीस की धनराशि के सापेक्ष विभाग द्वारा प्राप्त की गई धनराशि के reconciliation हेतु कर सकेगा।

(5.9) पूल खाते के Reconciliation हेतु एक बैठक उद्योग बन्धु स्तर पर प्रत्येक माह आहूत की जायेगी, जिसमें उद्योग बन्धु, सम्बन्धित विभागों, एन.आई.सी. लखनऊ एवं सम्बन्धित बैंको के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग कर Reconciliation का कार्य सम्पादित किया जायेगा।

(5.10) यदि किसी परिस्थिति में किसी कारणवश उद्यमी द्वारा किया गया भुगतान गलत हो जाता है अथवा एक से ज्यादा बार भुगतान कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जिस सम्बन्धित विभाग को गलत भुगतान अथवा एक से ज्यादा बार भुगतान प्राप्त हो गया है, उस विभाग की जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसे प्रकरण में प्राप्त भुगतान की धनराशि उद्यमी को सीधे वापस करें, एवं उसका विवरण उद्योग बन्धु को भी उपलब्ध कराये।

6. ऑन लाइन अनुमोदन की प्रक्रिया

6.1. उद्यमी द्वारा ऑन लाइन सिंगल विण्डो पोर्टल के माध्यम से स्वीकृतियों को प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र Submit करते ही आवेदन फार्म स्वतः ही विभाग के पोर्टल के माध्यम से जिला स्तरीय नोडल अधिकारी के एकाउन्ट में प्रदर्शित हो जायेगा एवं नोडल अधिकारी को इसकी सूचना ई-मेल व एस. एम.एस. के माध्यम से भी प्राप्त हो जायेगी।

6.2. उद्यमी द्वारा ऑन लाइन सिंगल विण्डो पोर्टल के माध्यम से आवेदन के सापेक्ष फीस हेतु धनराशि जैसे ही उद्योग बन्धु-निवेश मित्र पूल खाते में जमा कराई जाती है तथा भुगतान सफलता पूर्वक पूल में जमा होना प्रदर्शित हो जाता है, विभाग द्वारा भौतिक रूप से उनके खाते में फीस हस्तान्तरित होने की प्रतीक्षा किए बिना ही तत्काल अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाएगी।

6.3. विभाग के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा अपने यूज़र आई.डी. पासवर्ड को प्रयोग करते हुए फार्म को पूर्ण रूप से चैक किया जाएगा। चेक करने के उपरान्त यदि किसी बिन्दु पर कमीयां पाई जाती है तो उन कमियों से उद्यमी को पोर्टल पर आवेदन पत्र प्राप्त होने के 07 कार्य दिवस के भीतर अधिकतम 01 (एक बार) रिव्यू हेतु भेजा जाएगा। विभाग का नोडल अधिकारी रिव्यू के साथ अपनी टिप्पणी भी भेज सकता है। इसकी जानकारी उद्यमी को ई-मेल व एस.एम.एस. के माध्यम से स्वतः उपलब्ध हो जायेगी, साथ ही उद्यमी को उसके लॉगिन आई.डी. में स्थित डैश बोर्ड पर भी यह सूचना प्रदर्शित होगी।

6.4. उद्यमी को रिव्यू हेतु फार्म में मार्क बिन्दुओं पर सही एवं पूर्ण सूचना भरकर फार्म को 07 दिन के अन्दर पुनः submit करना होगा। यदि उद्यमी 07दिन के अन्दर फार्म में मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो विभाग के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी को फार्म पर अग्रेतर कार्यवाही करने को स्वविवेक छूट होगी।

6.5. यदि पोर्टल पर आवेदन पत्र प्राप्त होने के 07 कार्य दिवस के भीतर विभाग द्वारा उद्यमी को रिव्यू हेतु फार्म नहीं भेजा जाता है तो यह स्वतः माना जायेगा कि उद्यमी द्वारा भरे गये आवेदन प्रपत्र में कोई कमी नहीं पाई गयी हैं ।

6.6. विभाग द्वारा अनुमोदित कर जारी की गई अनुमति/अनापत्ति/लाइसेन्स की प्रति ऑन लाइन सिंगल विण्डो पोर्टल पर विभाग के राज्य/जिला स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा उद्यमी के द्वारा भरे गये फार्म के नीचे दिये गये approve बटन पर क्लिक करने के उपरान्त Digitally Singed NOC स्वतः निर्गत

हो जाएगी। जिन विभागों में यह व्यवस्था वर्तमान में नहीं हैं वे शीर्ष प्राथमिकता पर इस व्यवस्था को पूर्ण करेगें और जब तक यह व्यवस्था विभाग द्वारा सुनिश्चित नहीं की जाती हैं तब तक NOC की स्कैन कापी अपलोड की जाएगी, जो कि स्वतः ही उद्यमी के द्वारा भरे गये फार्म के सापेक्ष अपलोड होगी। अनुमोदन के उपरान्त उद्यमी को उसके पंजीकृत ई-मेल एवं एस.एम.एस. के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। साथ ही इसकी अद्यतन सूचना उद्यमी को उसके लॉगिन आई.डी. में स्थित डैश बोर्ड पर भी प्रदर्शित होगी।

7. एन.आई.सी. लखनऊ के कार्य/कार्यक्षेत्र-

7.1. एन.आई.सी लखनऊ द्वारा पोर्टल को विकसित कर उसका परिनियोजन एन.आई.सी डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश के माध्यम से किया जाएगा।

7.2. विकसित सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन का कार्य उनके द्वारा प्राथमिकता के आधार पर संपादित कराया जाएगा।

7.3. उनके द्वारा समस्त संबंधित विभागो एवं उद्योग बन्धु से नामित अधिकारियों को पोर्टल से संबंधित क्रिया कलापों की जानकारी एवं समय-समय पर ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी।

7.4. उनके द्वारा उद्योग बन्धु को पोर्टल से संबंधित संपूर्ण क्रिया कलापों का स्वामित्व प्रदान किया जाएगा।

7.5. उद्यमियों की पोर्टल के सॉफ्टवेयर सम्बन्धित समस्याओं के निदान,पूल खाते में जमा करायी गयी फीस के Reconciliation में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण एवं पोर्टल में सम्मिलित विभागों, बैंको एवं उद्योग बन्धु को आने वाली तकनीकी कठिनाइयों के निराकरण हेतु एक्टिव बैक-एण्ड सपोर्ट प्रदान किया जायेगा।

7.6. उनके द्वारा निकट भविष्य में पोर्टल को और अधिक सुदृढ बनाए जाने की दिशा में नवीन तकनीकियों का समावेश करते हुए पोर्टल का वर्जन शीघ्र ही विकसित किया जाएगा।

7.7. नये विभागों/उपक्रम को भी उद्योग बन्धु और नये विभाग के अनुरोध पर पोर्टल से जोड़ा जाएगा।

8. बैंको की भूमिका एवं दायित्व

8.1. बैंको को, उद्यमी द्वारा जमा कराई गई फीस विषयक विवरण, पोर्टल के माध्यम से प्रतिदिन ई-मेल द्वारा स्वतः उपलब्ध होगा। इस ई-मेल में इंगित प्राप्त शुल्क के अनुसार धनराशि को संबंधित बैंको द्वारा निम्न व्यवस्था अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा :-

8.1.1. सम्बन्धित उन विभागो जिनके खाते बैंक में हैं, उनके बैंक खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से हस्तांतरण किया जाएगा

8.1.2. सम्बंधित उन विभागो जिनके कोषागार खाते हैं, उनके कोषागार (E-Rajkosh) में ट्रेजरी चालान जनरेट कर संबंधित बैंक द्वाराE-Net/Net Banking के माध्यम से Transfer कराया जायेगा।

8.2. उद्योग बन्धु-निवेश मित्र के पूल खाते से सम्बन्धित बैंक का यह दायित्व होगा कि जिस तिथि को पोर्टल से उसे स्वतः जनित एम.आई.एस. प्राप्त होता है, वह उसी तिथि को उस एम.आई.एस. के आधार पर उन विभागों, जिनके खाते ट्रेजरी में हैं, के लिये एक एम.आई.एस. तैयार कर पूल एकाउन्ट में प्राप्त शुल्क भुगतान की धनराशि को हस्तांतरित कर दे।

8.3. उद्योग बन्धु-निवेश मित्र के पूल खाते से सम्बन्धित बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि जिस तिथि को उसे एम. आई.एस. के साथ शुल्क भुगतान की धनराशि प्राप्त होती है, उसी तिथि को एम.आई.एस. के आधार पर सम्बन्धित विभागों के ट्रेजरी खाते में धनराशि को हस्तांतरित कर दिया जाएगा तथा सफल ट्रान्सजेक्शन होने के बाद उसी तिथि को सम्बन्धित बैंक द्वारा उसका एम.आई.एस. बनाकर प्रेषित किया जायेगा। उद्योग बन्धु-निवेश मित्र के पूल खाते से सम्बन्धित बैंक द्वारा उसी तिथि को उक्त की सूचना रियल टाइम में पोर्टल पर अपडेट किया जायेगा।

8.4. बैंको द्वारा यदि पेमेन्ट गेटवे में कोई शैड्यूल्ड मेन्टीनेन्स किया जाता है तो उसकी पूर्व सूचना उद्योग बन्धु को ससमय प्रदान की जायेगी।

8.5. बैंको द्वारा उद्योग बन्धु-निवेश मित्र पूल खाते के Reconciliation हेतु उद्योग बन्धु स्तर पर प्रत्येक माह में होने वाली बैठक में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया जायेगा तथा Reconciliation सम्बन्धित प्रकरणों का समयोचित समाधान किया जायेगा।

8.6. बैंको द्वारा उद्यमियों से प्राप्त धनराशि के हस्तांतरण विवरण विषयक एम.आई.एस. अनिवार्य रूप से ससमय पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा तथा इस सूचना की एक प्रति ई-मेल के माध्यम से उद्योग बन्धु तथा एन.आई.सी. को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. जिलाधिकारियों के दायित्व

उनके द्वारा निम्नलिखित कार्य अपने पर्यवेक्षण में संपादित किये जाऐगे :

9.1. जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठकों में पोर्टल से प्राप्त आवेदन पत्रों का अनुश्रवण किया जाएगा। अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिलाधिकारी को उद्योग बन्धु द्वारा यूजर आईडी व पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

9.2. जिलाधिकारी समस्त जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों की पोर्टल संबंधित समस्याओं के निराकरण में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगें तथा भूमि आदि उपलब्ध कराने में यथावश्यक सहयोग प्रदान करेंगे तथा इस दिशा में शासन से समन्वय करेगें।

10. विभागों की भूमिका

प्रदेश में निवेश अनुकूल वातावरण सृजित करने की दिशा में उद्यमियों को व्यापार करने में सहजता प्रदान करने की दिशा में उद्योग स्थापना के पूर्व तथा बाद के सभी वांछित अनुमति, अनापत्ति, पंजीयन, लाइसेन्स इत्यादि केवल इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किये जायेंगें। इस हेतु विभागों द्वारा निम्नवत व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी:-

10.1. समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा राज्य एवं जनपद स्तर पर सक्षम स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।

10.2. समस्त विभागों के सेवा प्रदायी पोर्टल को ऑन लाइन सिंगल विण्डो पोर्टल से इन्टीग्रेट किये जा चुके हैं, तथापि यदि कोई असुविधा उत्पन्न होती है तो विभागों द्वारा उसका समुचित समाधान करते हुये वांछित अनुमति, अनापत्ति, पंजीयन, लाइसेन्स इत्यादि केवल ऑन लाइन सिंगल विण्डो पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन प्राप्त एवं अनुमोदित किये जायेंगे। इस कार्य हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने बेव डेवलेपर्स एवं विभागीय तकनीकी विशेषज्ञों के माध्यम से उद्योग बन्धु को आवश्यकतानुसार अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

10.3. इस व्यवस्था के अन्तर्गत समय-समय पर आच्छादित विभागों अथवा नये विभागों की सेवाओं को बढ़ाने अथवा संशोधित करने के साथ उन विभागों की सम्मिलित सेवाओं की शर्तों एवं शुल्क में किये गये संशोधन के अनुसार व्यवस्था में तद्नुसार संशोधन स्वतः प्रभावी माने जाएंगे।

10.4. समस्त सम्बन्धित विभाग द्वारा किसी भी दशा में उद्यमी से आवेदन पत्र तथा उससे सम्बन्धित शुल्क सीधे (मैनुअली) प्राप्त नहीं किये जायेंगे अपितु केवल ऑन लाईन सिंगल विण्डो पोर्टल व्यवस्था के माध्यम से ही प्राप्त किये जायेंगे।

10.5. यदि किसी उद्यमी को ऑन लाईन आवेदन करने में कोई कठिनाई आती है तो वह सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में स्थापित हैल्प डेस्क की सहायता से आवेदन कर सकता है। समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र यह सुनिश्चित करेंगे कि हैल्प डेस्क में आने वाले उद्यमियों को पूर्ण सहायता एवं सहयोग प्रदान किया जाये।

10.6. समस्त सम्बन्धित विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उद्यमियों द्वारा उनको दिये गये आवेदन-पत्रों में विभाग में आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तिथि के 07 कार्यदिवस के अन्दर एक बार में ही समस्त प्रकार की पृच्छायें (Queries) ऑन लाईन ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 07 कार्यदिवस के भीतर कोई पृच्छा नहीं की जाती है तो यह समझा जायेगा कि उद्यमी द्वारा दिये गये आवेदन में कोई कमी नहीं है तथा वह हर प्रकार से पूर्ण है। यदि उद्यमी 07 कार्य दिवस के अन्दर आवेदन-पत्र में मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो विभाग के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी को फार्म पर अग्रेतर कार्यवाही करने की स्वविवेक छूट होगी।

10.7. सभी सम्बंधित विभाग अपने विभागीय स्तर पर अनुमति/अनापत्ति/लाइसेन्स जारी करने की समय-सीमा एवं प्रक्रिया निर्धारित करते हुए जनपद एवं राज्य स्तर पर अधिकारियों को Power Delegate करेगें। यदि किसी प्रकरण में जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी अनुमति/अनापत्ति/लाइसेन्स जारी करने में असमर्थ है तो उनके द्वारा ऐसे प्रकरण निर्धारित समय-सारणी के अनुसार उच्च स्तर पर निर्णय हेतु संदर्भित किए जाएगें।

10.8. सभी सम्बन्धित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि जैसे ही उद्यमी द्वारा ऑन लाइन सिंगल विण्डो पोर्टल के माध्यम से आवेदन के सापेक्ष फीस हेतु धनराशि उद्योग बन्धु-निवेश मित्र पूल खाते में जमा कराई जाती है तथा भुगतान सफलता पूर्वक पूल में जमा होना प्रदर्शित हो जाता है, विभाग द्वारा भौतिक रूप से उनके खाते में फीस हस्तान्तरित होने की प्रतिक्षा किए बिना ही तत्काल अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाएगी।

10.9. विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त सभी औद्योगिक सेवाओं हेतु पूर्व में निर्धारित की गई समय-सीमा पर पुनर्विचार करते हुए यथा-सम्भव समयावधि कम कराई जायेगी। जिन विभागों में डीम्ड एप्रूवल की व्यवस्था लागू है, उनके द्वारा जिन प्रकरणों में डीम्ड एप्रूवल प्रदान की गई है उसकी सूचना उद्योग बन्धु को ऑन लाइन उपलब्ध करवाई जायेगी।

10.10. इस व्यवस्था के अन्तर्गत आच्छादित सेवाओं को निर्गत करने हेतु संबन्धित विभागों द्वारा निर्धारित समयावधि जैसा कि जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत यथा संशोधित अधिसूचना 27.11.2013 एवं 26.12.2014 में निहित उद्योगों की सेवाओं की समयावधि तथा संबन्धित विभागों के अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत समय-समय पर जारी/संशोधित समयावधि के अनुसार समयबद्धता सुनिश्चित की जाएगी।

10.11. सभी सम्बंधित सेवाओं को विभागों द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम के दायरे में लाया जायेगा तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही उद्यमियों को औद्योगिक सेवाएं प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11.उद्योग बन्धु की भूमिका

11.1. सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली के संचालन,अनुश्रवण एवं निस्तारण के लिये उद्योग बन्धु प्राधिकृत संस्था होगी। पोर्टल से संबंधित कोई भी कार्यकारी आदेश उद्योग बन्धु द्वारा कार्यहित में संबंधित विभाग/विभागों को निर्गत किया जा सकेगा।

11.2. सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली के प्रभावी संचालन एवं समस्याओं के ससमय निस्तारण हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की जाती है, जिसका स्वरूप निम्नवत् होगाः-

- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त - अध्यक्ष
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव - सदस्य

(अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास /ऊर्जा/गृह एवं अग्निशमन/ लोक निर्माण /स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन / राजस्व विभाग/ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन/वन/पर्यावरण/ ऑबकारी /लोक सेवा प्रबन्धन/श्रम/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम/आवास एवं शहरी नियोजन/नगर विकास विभाग)

- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु - सदस्य सचिव

11.3. प्रत्येक 15 दिवस पर सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली का अनुश्रवण संयुक्त अधिशासी निदेशक/अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु द्वारा किया जाएगा।

11.4. प्रत्येक माह सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली का अनुश्रवण अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

11.5. प्रत्येक दो माह में एक बार सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली का अनुश्रवण मुख्य सचिव द्वारा किया जाएगा।

11.6. किसी ज्वलन्त प्रकरण के त्वरित समाधान हेतु बिना किसी पूर्व सूचना के आपात बैठक आहूत करने के लिये उद्योग बन्धु अधिकृत होगा,इस के लिये संबंधित विभागों को बैठक की सूचना ससमय उपलब्ध करा दी जाएगी।

12. इस शासनादेश में उल्लिखित उक्त व्यवस्था के साथ-साथ सभी सम्बन्धित विभागों की वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था भी दिनांक 30 जून 2018 तक प्रभावी रहेगी। दिनांक 01 जुलाई 2018 से केवल इस शासनादेश में उल्लिखित प्राविधान ही प्रभावी होंगे। इस संबंध में समय समय पर निर्गत संगत शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष प्राविधान यथावत रहेगें।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करानें का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव

संख्या-1488(1)/77-6-18-08(एम)/2012टी.सी.8(कैबिनेट) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,उ.प्र. शासन।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, उ.प्र. इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार यादव)
सचिव

49

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ।

सं0– 262 /पीएससीएच/18 दिनॉक– 17.07.2018

6579/MD/18
19-07-18

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पश्चिमॉचल–मेरठ/केस्को–कानपुर/मध्यॉचल–लखनऊ/
पूर्वांचल–वाराणसी/दक्षिणॉचल–आगरा।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि प्रदेश मे निवेश को बढ़ावा देने तथा निवेशकों को उद्योग स्थापित करने में सुविधा व सुगमता प्रदान करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार द्वारा ''निवेश मित्र–सिंगल विन्डो सिस्टम'' पोर्टल का शुभारम्भ माह फरवरी, 2018 में 'उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट–2018' के आयोजन के अवसर पर किया गया था। उक्त पोर्टल पर उद्यमियों के प्राप्त आवेदन पत्रों का गहन अनुश्रवण/समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा निरन्तर की जा रही है।

Dir.(W&P)

2– उक्त कम में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन (मुख्यालय) पर समीक्षा के उपरान्त यह पाया गया है कि विद्युत संयोजन/लोड बढ़वाने से संबंधित पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण कई मामलों में लम्बित है तथा जिन मामलों का निस्तारण कर दिया गया है वहाँ भी 'ऑफ लाइन' प्रोसेसिंग की जा रही है, जो शासन की मंशा/निर्देशों का खुला उल्लंघन है।

18/7/18
प्रबन्ध निदेशक
उ०प्र०पा०का०लि०

3– प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा विद्युत वितरण निगमों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है, इसके बावजूद भी स्थिति में अपेक्षित सुधार दृष्टिगोचर न होना, अत्यन्त ही आपत्तिजनक है।

CE LMVT / Sri. Rajiv Dhandha SE

4– इस सम्बन्ध में आपको अंतिम बार निर्देश देना है कि आप अपने स्तर से सभी संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को स्पष्ट रूप से निम्नवत् निर्देश अविलम्ब निर्गत कर दें:–

Pl discuss

(1) प्रत्येक दशा में पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण निर्धारित समयावधि के अंदर करके कार्यवाही की अद्यतन स्थिति/सूचना पोर्टल पर अविलम्ब दर्ज कर दी जाय।

(2) किसी भी दशा में ऑफ लाइन प्रोसेसिंग न की जाय।

20/7/18
निदेशक (कार्य एवं परि०)
उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०

(3) यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि यदि उक्त निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड के अधिशासी अभियन्ता का सीधा उत्तरदायित्व निर्धारित कर, उनके विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी।

5– कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें। पत्र के साथ ''निवेश मित्र'' पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का विवरण संलग्न है।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

EE-II
23/07/18

→ सी0सी0: प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0।

आलोक कुमार
आई0ए0एस0
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग लखनऊ–226001
ई–मेल:chairmanuppcl@gmail.com
फोन : 0522-2287827 (O)
(फैक्स) : 0522-2287785

अर्द्ध0शा0पत्रांक:३५८ / मु0अ0(वा0ऐवंऊ0ले0) / राजस्व प्रथम / नि0मि0 दिनाँक: सितम्बर 05, 2018

विषयः–सिंगल विण्डो पोर्टल (निवेश मित्र) पर औद्योगिक विद्युत संयोजन को ऑनलाईन निर्गत करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश / मार्गदर्शी सिद्धान्त के सम्बन्ध में।

प्रिय

आप अवगत हैं कि सिंगल विण्डो पोर्टल पर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 1488 / 77–6–18–08(एम) / 2012टी.सी.8(कैबिनेट) दिनांक 09.04.2018 द्वारा विभागों में उद्यमियों की सुगमता हेतु ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

इस सम्बन्ध में सूचनीय है कि विद्युत विभाग में नये औद्योगिक संयोजनों को निर्गत किये जाने की प्रक्रिया अन्य विभागों की प्रक्रिया से कुछ भिन्न है। विद्युत विभाग में संयोजन निर्गत करने हेतु दो चरणों में कार्यवाही होती है, जो निम्नवत है –

प्रथम चरणः– आवेदनकर्ता द्वारा प्रोसेसिंग फीस जमा करने के उपरान्त स्थलीय निरीक्षण कराकर फिजीबिलटी के अनुरूप प्रॉक्कलन तैयार किया जाता है। तदोपरान्त प्रॉक्कलन धनराशि की टी0सी0 30 दिन तक धनराशि जमा करने की समय–सीमा के साथ अपलोड कर दी जाती है। उपभोक्ता द्वारा धनराशि जमा करने की यह अवधि संयोजन निर्गत करने में लगने वाले समय में विलम्ब की अवधि में नहीं जोड़ी जानी है।

द्वितीय चरणः–आवेदनकर्ता द्वारा प्रॉक्कलन धनराशि जमा करने के पश्चात कनेक्शन देने हेतु लाईन एवं उपकेन्द्र निर्माण की आवश्यकता है अथवा नहीं है, के अनुसार अलग–अलग प्रक्रिया अपनायी जाती है।

तत्क्रम में अवगत हों कि मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी उ0प्र0 विद्युत आपूर्ति संहिता–2005 की धारा 4.7 एवं 4.8 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित दिशा–निर्देश के अनुरूप संयोजन निर्गत किये जाने हेतु समय–सीमा का निम्नवत प्राविधान है –

1. धारा 4.7 के अनुसार यदि कनेक्शन देने हेतु कोई पोल या अण्डरग्राउण्ड केबिल की आवश्यकता नहीं है, तो आवेदनकर्ता द्वारा प्रॉक्कलन धनराशि जमा करने के उपरांत 7 दिन के अन्दर संयोजन निर्गत कर दिया जाना है।
2. धारा 4.8 के अनुसार यदि कनेक्शन देने के लिए लाईन एवं उपकेन्द्र के निर्माण की आवश्यकता है, तो आवेदनकर्ता द्वारा प्रॉक्कलन धनराशि जमा करने के उपरान्त टेण्डर सामग्री उपलब्धता तथा कार्य सम्पादन के दृष्टिगत संयोजन निर्गमन हेतु निम्नवत समय–सीमा निर्धारित है –

अ) 400 वोल्ट पर कनेक्शन देने हेतु 45 दिन का समय।
ब) 11 के0वी0 पर कनेक्शन देने हेतु 60 दिन का समय।
स) 33 के0वी0 पर कनेक्शन देने हेतु 120 दिन का समय।
द) 132 के0वी0 पर कनेक्शन देने हेतु 300 दिन का समय।

क्रमशः

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदनकर्ता द्वारा प्रॉक्कलन धनराशि जमा करने के उपरान्त उ0प्र0 विद्युत आपूर्ति संहिता–2005 की धारा 4.7 एवं 4.8 में उल्लिखित निर्धारित समय–सीमा के अनुसार उद्यमियों को औद्योगिक सेवायें प्रदान किया जाना ही सम्भव होगा।

अतः उपरोक्तानुसार संज्ञानित कराते हुये यह अवगत कराना है कि सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात निवेश मित्र पोर्टल पर संयोजन निर्गत किया जाना, प्रदर्शित होना सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।

संलग्नकः–यथोपरि।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

श्री अविनाश कुमार
विशेष सचिव (मुख्यमंत्री)
उ0प्र0 शासन, लखनऊ

आलोक कुमार
आई0ए0एस0
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग लखनऊ–226001
ई–मेल:chairmanuppcl@gmail.com
फोन : 0522-2287827 (O)
(फैक्स) : 0522-2287785
CIN NO:-U32201UP1999SGC024928

पत्रांक : 456 /मु0अ0(वा0एवंऊ0ले0)/राजस्व प्रथम/नि0मि0 दिनाँक: नवम्बर 27, 2018

अधिशासी निदेशक
उद्योग बन्धु,
12सी, मॉल एवेन्यू,
लखनऊ

विषयः– **Ease of Doing Business (EODB)** के सम्बन्ध में।

कृपया निवेश मित्र पोर्टल पर उद्यमियों के आवेदनों के सम्बन्ध में आपके द्वारा फोकस बिन्दुओं के सम्बन्ध में भेजे गये व्हाट्सअप मैसेज का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में बिन्दुवार निम्नवत सूचनीय है–

1. निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन प्राप्ति के प्रारम्भ से माहवार विश्लेषण से यह निष्कर्ष आया है कि प्रतिमाह आवेदनों में वृद्धि हो रही है (छायाप्रति संलग्न)। इस सम्बन्ध में समस्त वितरण कम्पनियों को उद्यमियों/निवेशकों के नये संयोजनों को शासनादेश के अनुसार निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ही निर्गत किये जाने के आदेश दिये गये हैं।
2. डिजिटल सिग्नेचर की प्रक्रिया का क्रियान्वयन दिनांक 31.12.2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
3. विद्युत संयोजन निर्गमन की चरणबद्ध प्रक्रिया के प्रत्येक स्टेज पर एक ही बार क्वेरी की व्यवस्था दिनांक 01.12.2018 से लागू हो जायेगी।
4. निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदनों को स्पष्ट एवं उचित कारणों के आधार पर ही अस्वीकार किये जाने हेतु समस्त वितरण निगमों को निदेश दिये गये हैं, जिन प्रकरणों पर अनावश्यक कारणों के आधार पर आवेदन रिजेक्ट किये गये हैं, उन अधिकारियों पर वितरण निगमों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

निश्चित रूप से उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरूप उद्यमियों/निवेशकों को विद्युत संयोजन के प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही आवश्यक है और भविष्य में इस दिशा में प्रगति परिलक्षित होगी।

उक्त के अतिरिक्त ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में निम्नवत अवगत कराना है–

1. **औद्योगिक संयोजनों को निर्गत किये जाने की प्रक्रिया :–**
   (i) आवेदनकर्ता द्वारा प्रोसेसिंग फीस जमा करने के उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर फीजिबिलिटी के अनुरूप प्राक्कलन 7 दिन के अन्दर तैयार किया जायेगा।
   (ii) प्रॉक्कलन धनराशि की टी0सी0 (नियम व शर्तें) आवेदक द्वारा धनराशि ऑनलाईन जमा किये जाने हेतु अपलोड कर दी जायेगी।
   (iii) आवेदक को प्रॉक्कलन धनराशि जमा करने के लिये 30 दिन का समय दिया जायेगा। (उपभोक्ता द्वारा धनराशि जमा करने की यह अवधि संयोजन निर्गत करने में लगने वाले समय में विलम्ब की अवधि में नहीं जोड़ी जानी है।)

2. औद्योगिक संयोजनों को निर्गत किये जाने हेतु समय–सीमा :–

(i) यदि कनेक्शन देने हेतु कोई पोल या अण्डरग्राउण्ड केबिल की आवश्यकता नहीं है, तो आवेदनकर्ता द्वारा प्रॉक्कलन धनराशि जमा करने के उपरांत 7 दिन के अन्दर संयोजन निर्गत कर दिया जायेगा।

(ii) यदि कनेक्शन देने हेतु 11/0.4 के0वी0 वितरण परिवर्तक की क्षमता वृद्धि आवश्यक है, तो आवेदनकर्ता द्वारा प्रॉक्कलन धनराशि जमा करने के उपरांत 15 दिन के अन्दर संयोजन निर्गत कर दिया जायेगा।

(iii) यदि कनेक्शन देने हेतु एल0टी0 लाईन निर्माण (05 पोल तक) एवं आर0ओ0डब्लू0 की आवश्यकता नहीं है, तो आवेदनकर्ता द्वारा प्रॉक्कलन धनराशि जमा करने के उपरांत 15 दिन के अन्दर संयोजन निर्गत कर दिया जायेगा।

(iv) यदि कनेक्शन देने हेतु एल0टी0 लाईन निर्माण एवं आर0ओ0डब्लू0 (रोड क्रासिंग/रेल क्रासिंग) की आवश्यकता है, तो आर0ओ0डब्लू0 की अनुमति मिलने एवं आवेदनकर्ता द्वारा प्रॉक्कलन धनराशि जमा करने के उपरांत 15 दिन के अन्दर संयोजन निर्गत कर दिया जायेगा।

(v) मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी उ0प्र0 विद्युत आपूर्ति संहिता–2005 की धारा 4.8 में उल्लिखित दिशा–निर्देश के अनुरूप यदि कनेक्शन देने के लिए लाईन एवं उपकेन्द्र के निर्माण की आवश्यकता है, तो आवेदनकर्ता द्वारा प्रॉक्कलन धनराशि जमा करने के उपरान्त टेण्डर सामग्री उपलब्धता तथा कार्य सम्पादन के दृष्टिगत संयोजन निर्गमन हेतु 400 वोल्ट, 11 के0वी0, 33 के0वी0, 132 के0वी0 पर क्रमशः 45, 60, 120, 300 दिन की अधिकतम समय–सीमा का प्राविधान है। इन प्रावधानों के दृष्टिगत कम समय सीमा निर्धारण का प्रकरण विचाराधीन है।

अन्य बिन्दु :–

(i) आउटेज मॉनिटरिंग प्रणाली :–

प्रदेश में चयनित 460 नग औद्योगिक पोषकों पर आधुनिक मॉडम लगा दिये गये हैं। इन मॉडम से प्राप्त डाटा से 11 के0वी0 पोषकों के ऊर्जीकृत होने अथवा न होने की स्थिति का ज्ञान वास्तविक समय में प्राप्त हो रहा है जिसे वेब पोर्टल पर देखा जा रहा है तथा निरन्तर अनुरक्षण द्वारा आपूर्ति की स्थिति में निरन्तर सुधार हेतु कार्यवाही की जा रही है। अपेक्षा के अनुसार कार्य पूर्ण है। औद्योगिक पोषकों पर नियोजित Shut Down हेतु एक माह पूर्व अवगत कराने के आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

(ii) ऑटो रिक्लोजर प्रणाली :–

प्रदेश में चयनित 426 नग औद्योगिक पोषकों हेतु निविदा द्वारा प्रणाली के कार्य हेतु अनुबन्ध कर लिया गया है, तथा प्रथम चरण में 180 नग पोषकों पर स्थापित किये जाने का कार्य प्रगति पर है जिसमें से 50 नग पर कार्य पूर्ण हो चुका है। इन उपकरणों की संचालन प्रणाली हेतु आई.टी. सिस्टम केन्द्र पर उपलब्ध है, इन्हें स्थापित करने का कार्य नवनिर्मित स्काडा केन्द्र गाजियाबाद पर किया जा रहा है तथा प्रणाली का दिनांक 30.11.2018 से कार्य संचालन प्रारम्भ किया जाना सम्भावित है। समस्त सूचना वास्तविक समय में वेब पोर्टल पर भी उपलब्ध होगी।

कृपया संज्ञानार्थ प्रेषित।

संलग्नकः–यथोपरि।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

पत्रांक : 456 /मु0अ0(वा0एवंऊ0ले0)/राजस्व प्रथम/नि0मि0/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/केस्को को इस आशय से प्रेषित कि समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निवेश मित्र के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु समयसीमाओं का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाये।
4. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

आलोक कुमार
आई०ए०एस०
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग लखनऊ–226001
ई–मेल chairmanuppcl@gmail.com
फोन : 0522-2287827 (O)
(फैक्स) : 0522-2287785
CIN NO:-U32201UP1999SGC024928

पत्रांक : 457 /मु0अ0(वा0एवंऊ0लें0)/राजस्व प्रथम/नि0मि0 दिनाँक: नवम्बर 27, 2018

प्रबन्ध निदेशक
दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
आगरा/मेरठ/वाराणसी/लखनऊ

विषयः– औद्योगिक फीडरों के नियोजित आउटेजों की सूचना उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में/ **Ease of Doing Business (EODB)** के सम्बन्ध में।

भारत सरकार की Department of Industrial Policy & Promotion द्वारा प्रतिपादित BRAP, 2019 में विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में निम्नवत संस्तुति पर कार्यवाही अपेक्षित है--

"Ensure that Discoms notify consumers of planned outages (maintanance and load shedding) for next one month in advance. The regulator should be informed accordingly"

आप अवगत हैं कि औद्योगिक इकाइयों के संयोजन राजस्व की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः औद्योगिक इकाइयों की विद्युत आपूर्ति तथा उसमें होने वाले व्यवधान की पूर्व सूचना इकाइयों को दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे औद्योगिक इकाइयों द्वारा विद्युत व्यवधान के समय उनके उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव हेतु ससमय निर्णय लिया जा सके।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने डिस्कॉम के अन्तर्गत औद्योगिक फीडरों के Planned outages की सूचना उपभोक्ताओं को 1 माह पूर्व विभिन्न संचार माध्यमों (समाचार पत्रों, एस०एम०एस०, ई–मेल, व्हाट्सएप्प आदि) के द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

पत्रांक : /मु0अ0(वा0एवंऊ0लें0)/राजस्व प्रथम/नि0मि0/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

Scanned by CamScanner

आलोक कुमार
आई0ए0एस0
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ –01
ई–मेल : chairmanuppcl@gmail.com
दूरभाष – (0522) 2287827 (का0)
फैक्स – (0522) 2287785
CIN NO:-
U32201UP1999SGC024928

पत्रांक:–468 /मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/आर0–1 दिनांक/नवम्बर, 30 2018

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।
लखनऊ/मेरठ/आगरा/वाराणसी
केस्को कानपुर।

कृपया भारत सरकार के DIPP विभाग द्वारा Ease of Doing Business (EODB) के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये ऊर्जा विभाग सम्बन्धी Business Reform Action Plan (BRAP-2019) (प्रति संलग्न) की संस्तुतियों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

वर्णित संस्तुतियों में उल्लिखित Ease of Doing Business (EODB) के तीन आंशिक रूप से पूर्ण मुख्य बिन्दुओं सं0 48, 49 एवम् 50 पर कार्यवाही हेतु निम्नवत् सूचित है :–

बिन्दु सं0 48 :–विद्युत संयोजन लेने वाले व्यक्ति से पहचान हेतु साक्ष्य लिये जाने की व्यवस्था सम्बन्धी माड्यूल क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा पहचान हेतु साक्ष्य का माड्यूल निवेश मित्र पोर्टल पर क्रियान्वित करा दिया गया है। अतः अपने अधीनस्थ समस्त फील्ड अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दे कि वे तदनुसार आवेदक का पहचान साक्ष्य पोर्टल पर अपलोड करवाने हेतु निवेशकों को सूचित करें।

बिन्दु सं0 49 :–नियोजित outage की सूचना औद्योगिक इकाइयों को कम से कम 1 माह पूर्व दिये जाने की व्यवस्था प्रारम्भ करने के आदेश (प्रति संलग्न) जारी हो गये हैं। इन आदेशों का पालन आवश्यक रूप से अपने डिस्काम में सुनिश्चित करवाये।

बिन्दु सं0 50 :–औद्योगिक इकाइयों को विद्युत संयोजन ROW न होने की दशा में 7 दिन में तथा ROW की दशा में 15 दिन में दिये जाने हेतु आपके डिस्काम में निम्न् व्यवस्था पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :–

(i) विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा LT, HT एवं EHT लाइन/ उपकेन्द्रों को तीव्रगति से उन्नत मशीनों द्वारा निर्मित करने वाले आर्थिक रूप से सक्षम Notified 'A' class contractors की सूची प्राप्त कर निवेशकों को एस्टीमेट दिये जाने के साथ उपलब्ध करायी जाये।

(ii) निवेशकों को त्वरित विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के उद्देश्य से estimate की धनराशि पर सुपरविजन चार्जेज लेकर निवेशकों द्वारा स्वयं Notified 'A' class contractors से लाइन आदि का कार्य करवाये जाने हेतु कहा जाये।

निवेशकों को स्पष्ट कर दिया जाये कि यदि उनके द्वारा स्वयं 'A' class contractors से काम न करवाकर डिस्काम द्वारा किये जाने का आग्रह किया जाता है उस स्थिति में भण्डारों में सामानों की उपलब्धता, टेण्डरिंग प्रोसेस एवम् शासकीय कियान्वयन में लगने वाले समय के दृष्टिगत BRAP 2019 की समय सीमा के स्थान पर मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2005 की समय सीमा (संगत पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न) मान्य होगी।

(iii) डिस्काम द्वारा 3 दिनों में Technical Feasibility निर्णीत कर उसके पश्चात् 7 दिनों में estimate अपलोड कर आवेदकों को दे दिया जाये।

(iv) Estimate की धनराशि पर सुपरविजन चार्जेज को नियमानुसार स्वीकृत करते हुये जमा करवाने का कार्य सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा सम्पादित किया जाये।

(v) चूँकि विद्युत भार के सापेक्ष LT, HT एवं EHT वोल्टेज पर अवमुक्त किये जाने वाले संयोजन पर लाइन के निर्माण के बाद मात्र मीटर लगाकर संयोजन ऊर्जीकृत करना होता है अतः

(a) ROW की आवश्यकता न होने पर यदि निवेशक डिस्काम को सुपरविजन चार्जेज की धनराशि जमा करने के पश्चात् लाइन बनवाकर एवम् विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनुमति प्राप्त कर 3 से 4 दिनों में डिस्काम को सूचित करते हैं उस स्थिति में पूर्व से ही मीटर की व्यवस्था करते हुये मात्र 2 से 3 दिन में संयोजन ऊर्जीकृत कर दिया जाये अर्थात् 7 दिवस में संयोजन ऊर्जीकृत कर दिया जाये।

(b) ROW की आवश्यकता होने पर यदि निवेशक डिस्काम को सुपरविजन चार्जेज की धनराशि जमा करने के पश्चात् लाइन बनवाकर ROW तथा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनुमति प्राप्त कर 10 से 12 दिनों में डिस्काम को सूचित करते हैं उस स्थिति में पूर्व से ही मीटर की व्यवस्था करते हुये मात्र 2 से 3 दिन में संयोजन ऊर्जीकृत कर दिया जाये अर्थात् 15 दिवस में संयोजन ऊर्जीकृत कर दिया जाये।

(vi) डिस्काम मुख्यालय पर एच0वी0 सेल को सुदृढ़ करते हुये औद्योगिक निवेशकों को विद्युत संयोजन सम्बन्धी समस्त समस्याओं के हल हेतु व्यवस्था क्रियान्वित की जाये। एच0वी0 सेल के अधिकारी उनकी विद्युत संयोजन सम्बन्धी समस्याओं के निवारणार्थ एक विशेष प्रबन्धन इकाई के रूप में कार्य करना प्रारम्भ करें।

कृपया उपरोक्तानुसार अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक : यथोपरि।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

पत्रांकः–468 /मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/आर0–1 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव ऊर्जा, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 4 सी, माल एवेन्यु, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (वाणिज्य/वितरण/वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

आलोक कुमार
आई.ए.एस.
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा एवं अति ऊर्जा
लखनऊ-226 001
कार्यालय : 0522-2238122
फैक्स : 0522-2236388
email: psecup.energy@nic.in

अर्द्धशा0प0सं0 7341/24-पी-3-20

लखनऊः दिनांक 19 दिसम्बर, 2018

प्रिय अमृता,

3950/MDS/18
21/12/2018

कृपया उद्योग बन्धु के संलग्न पत्र संख्या-3347/1484/नॉलेज बैंक/18-19, 17 दिसम्बर, 2018 का सन्दर्भ लें जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत संस्तुति संख्या-50 के अनुपालन के सम्बन्ध में है।

Dir (Com)

2- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा RoW न होने की स्थिति में 07 दिन तथा अन्यथा की स्थिति में 15 दिन में विद्युत संयोजन देने के लिए नये दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं जिनमें आवेदक औद्योगिक इकाईयों को यह विकल्प दिया गया है कि वे विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा अधिकृत क्लास-ए इलैक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से गठित संयोजनों हेतु आवश्यक लाइन/ट्रांसफारमर इत्यादि का निर्माण कराया जा सके जिसके पश्चात् सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम के अधिकारी द्वारा तत्परता से मीटर स्थापित कर संयोजन को ऊर्जीकृत कर दिया जाएगा ताकि 07 दिन/15 दिन में विद्युत संयोजन देने की समय सीमा का पालन हो सके।

Ed (Com-1)

3- उद्योग बन्धु के संलग्न पत्र में यह भी अपेक्षित है कि संस्तुति संख्या-50 के अनुसार विद्युत संयोजन 07 दिन/15 दिन की समय सीमा में विद्युत सुरक्षा निरीक्षक के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित दिया जाना है। बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संयोजन का ऊर्जीकरण भी नहीं हो सकेगा।

4- अतः कृपया विद्युत सुरक्षा निदेशालय के इलैक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर को कड़े निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित कराने का कष्ट करें कि निवेश मित्र पोर्टल पर दर्ज किए गए विद्युत संयोजनों के आवेदनों पर विद्युत लाइन के बनने के तुरन्त बाद अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया जाए जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत संस्तुति संख्या-50 का अनुपालन हो सके।

5— ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रगति की समीक्षा प्रदेश में तथा केन्द्र में उच्चतम स्तर पर की जा रही है अतः इसको कड़ाई से लागू किए जाने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि।

.भवदीय,

(आलोक कुमार)

श्रीमती अमृता सोनी,
निदेशक
विद्युत सुरक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या—T341(1) /24—पी—3—2018, तद्दिनांक।

उपरोक्त प्रति संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
2— विशेष सचिव, ऊर्जा (श्री इन्द्रराज सिंह) उ0प्र0 शासन।

.भवदीय,

(आलोक कुमार)

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव,
ऊर्जा विभाग, उ.प्र.शासन।

2- निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, लखनऊ।

उ.ब./3347/1484 /नॉलेज बैक /18-19/ दिसम्बर 17, 2018

विषयः- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत हों कि 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' के अन्तर्गत संस्तुति संख्या : 50 में 'Stipulate that charged electrical connections (for all voltages-Low/ High/Extra High Tension) along with Chief Electrical Inspector General (CEIG) approval (wherever required) is provided within Seven days (where no 'Right of way' (RoW) is required) and Fifteen days, where RoW is required from concerned agencies' को प्रदेश में क्रियान्वित करने के सम्बंध में दिनांक 10.12.18 को उद्योग बन्धु में सम्पन्न बैठक में विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत कनेक्शन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.)/ अनुमति 20 दिनों में प्रदान की जाती हैं।

अवगत कराना है कि चूंकि उपरोक्त संस्तुति के अनुसार यह अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.)/अनुमति कुल 7/15 दिन के भीतर प्रदान किया जाना है, अतः अनुरोध है कि अनुमति हेतु जहाँ RoW की आवश्यकता न हो तो 04 दिवस में तथा जहाँ RoW की आवश्यकता हो तो 10 दिवसों में अनुमति प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें. तदोपरान्त यू.पी.पी.सी.एल. द्वारा संलग्न पत्र दिनांक 30.11.18 में उल्लिखित बिन्दु सं.-V- (a) & (b) के अनुसार 2/3 दिनों में विद्युत संयोजन प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा, जिसके फलस्वरूप संस्तुति सं. 50 का अनुपालन सुनिश्चित किया हो सकेगा।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्य संपादित कराते हुए सम्बन्धित सूचना/ शासनादेश उद्योग बन्धु को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(सन्तोष कुमार यादव)
अधिशासी निदेशक

आलोक कुमार
आई0ए0एस0
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ –01
ई–मेल : chairmanuppcl@gmail.com
दूरभाष – (0522) 2287827 (का0)
फैक्स – (0522) 2287785
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांक : /मु0अ0(वा0एवंऊ0ले0)/राजस्व प्रथम/नि0मि0 दिनाँक: दिसम्बर , 2018

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक निवेशकों हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा क्रियान्वित सिंगल विन्डो पोर्टल (निवेश मित्र) पर विद्युत संयोजन सम्बन्धी आनलाइन आवेदन प्रपत्र पर आवेदक की पहचान (प्रुफ आफ आइडेन्टिटी) हेतु एक माडयूल विकसित कर प्रचालित किया गया है। आवेदक अपने आवेदन के साथ पहचान पत्र के रूप में फोटोयुक्त ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आई0डी0 कार्ड, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में से कोई एक अपलोड कर सकते है।

अध्यक्ष

पत्रांक :– 500 /मु0अ0(वा0एवंऊ0ले0)/राजस्व प्रथम/नि0मि0/तद्दिनांक : 18/12/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 4–ए, माल एवेन्यु, लखनऊ।
3. समस्त प्रबन्ध निदेशक डिस्काम मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को इस आशय के साथ कि सभी विद्युत वितरण क्षेत्रों के अधिकारियों को तद्नुसार औद्योगिक निवेशकों को सूचित किये जाने हेतु।
4. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को।
5. निदेशक (वाणिज्य/वितरण/वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य औद्योगिक संघ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (आरएपीडीआरपी पार्ट–ए/आई0टी सेल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(ए0के0 पाठक)
मुख्य अभियन्ता (वा

अशोक कुमार श्रीवास्तव
निदेशक (वाणिज्य)

उत्तरप्रदेशपावरकार्पोरेशनलिमिटेड
(उत्तर प्रदेशसरकारका उपक्रम)
शक्तिभवन, 14–अशोकमार्ग, लखनऊ–226001
ई–मेल–directorcomm@uppcl.org
दूरभाष–0522–2287806
फैक्स नं0 0522–2287806
CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांकः– 507 /मु0अ0(वा0एवंऊ0ले0)/राजस्व–प्रथम/निo कo दिनांकः 21 दिसम्बर, 2018

अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0)
उ0प्र0पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ।

विषय :–निवेशकों को त्वरित विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त उद्यमियों के आवेदनों के सम्बन्ध में विगत में की गयी समीक्षा एवम् अध्यक्ष महोदय द्वारा पत्र सं0 468 दिनांक 30.11.2018 (छायाप्रति संलग्न) से जारी व्यवस्था के दृष्टिगत औद्योगिक इकाइयों को विद्युत संयोजन लाइन निर्माण/उपकेन्द्र का निर्माण कर 15 दिन में किये जाने हेतु पोर्टल पर निम्न् आनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है।

निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदनकर्ता को आवेदन करते समय एवम् अधिशासी अभियन्ता के इस्टीमेट आनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के पश्चात् आवेदक द्वारा भुगतान करते समय दोनों स्तरों पर आवेदक को लाइन निर्माण का कार्य स्वयं Notified 'A' Class Contractors से कराये जाने का option दिया जाये।

प्रथम स्तर पर आवेदन के समय आवेदक द्वारा स्वयं लाइन निर्माण कार्य कराये जाने को अस्वीकार करने के पश्चात् भी इस्टीमेट के भुगतान के स्तर पर पुनः लाइन निर्माण एवम् कराये जाने की सहमति सम्बन्धी option खुला रहना चाहिये। यदि आवेदक स्वयं लाइन बनवाने को स्वीकारता है उस स्थिति में इस्टीमेट की 15% धनराशि का option दिया जाये। यदि आवेदक द्वारा लाइन निर्माण विभाग द्वारा किया जाना स्वीकारा जाता है उस स्थिति में मा0 आयोग द्वारा लाइन निर्माण की अनुमोदित समय सीमा का उल्लेख करते हुये इस्टीमेट की पूर्ण धनराशि की मॉग प्रदर्शित हो।

सुपरविजन चार्जेज के रूप में 15% इस्टीमेट धनराशि जमा करने की स्थिति में एक stage यह भी रखी जाये जिसमें आवेदक लाइन निर्माण व ROW प्राप्त कर विभाग को कार्य पूर्ण होने की सूचना देगा, जिसके पश्चात् विभाग द्वारा मात्र मीटर लगाकर मीटर सीलिंग रिपोर्ट अपलोड कर संयोजन ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा।

कृपया इस प्रकार NIC से समन्वय करते हुये यह व्यवस्था शीघ्रतिशीघ्र कियान्वित करवाने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

प्रतिलिपि

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
फोन : 0522–2287806

संख्याः 68 /आर–एपीडीआरपी पार्ट–ए/2019 दिनॉक 15/01/2019

निदेशक (वाणिज्य)
विद्युत वितरण निगम लि०,
दक्षिणांचल–आगरा/पूर्वांचल–वाराणसी/
पश्चिमांचल– मेरठ/मध्यांचल–लखनऊ।

विषयः डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग पत्र पर करने हेतु साफ्टवेयर एप्लीकेशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा० प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री उ०प्र० सरकार के शीर्ष प्राथमिकता में शामिल निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से दिये जाने वाले संयोजनों पर कृत कार्यवाही हेतु पत्राचार पर डिजिटल हस्ताक्षर हेतु आदेशित किया गया है। वर्तमान में वितरण निगमों में विद्युत वितरण खण्डों एवं निगमों के अन्य अधिकारियों के पास यू०एस०बी० डिवाइस में उ०प्र० इलेक्ट्रानिक्स का लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध है, जो निविदा प्रक्रिया के निस्तारण हेतु प्रयोग किये जा रहे है। निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से नये संयोजन निर्गत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता (सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड) अधिकृत है।

निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से दिये जाने वाले संयोजनों हेतु डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग हेतु साफ्टवेयर एप्लीकेशन को स्थापित करने हेतु मै0 आई0डी0एल0 टेक्नोलॉजीस, 91/1850, केडीए कालोनी, नौबस्ता, मण्डी समिति, कानपुर को कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता (अनुरक्षण इकाई), उ0प्र0पाकालि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के पत्र संख्या–72/अनु0इ0/श0भ0वि0 दिनांक 10.01.2019 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा आदेशित किया गया है। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग हेतु साफ्टवेयर एप्लीकेशन के संचालन एवं स्थापना हेतु नामित फर्म द्वारा डिस्कॉम स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाना भी प्रस्तावित है।

कृपया उपरोक्तानुसार कृपया उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने हेतु उचित कार्यवाही कराना चाहें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

प्रतिः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, दक्षिणांचल–आगरा/पूर्वांचल–वाराणसी/पश्चिमांचल–मेरठ/मध्यांचल–लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण इकाई, शक्ति भवन विस्तार, उ0प्र0पाकालि0, लखनऊ।
4. मै0 आई0डी0एल0 टेक्नोलॉजीस, 91/1850, केडीए कालोनी, नौबस्ता, मण्डी समिति, कानपुर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि तत्काल प्रभाव से उक्त डिस्कॉम से सम्पर्क कर डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग हेतु साफ्टवेयर एप्लीकेशन को स्थापित करने का कार्य कराना सुनिश्चित करें।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
आर–एपीडीआरपी पार्ट–ए इकाई
5वॉं तल, शक्ति भवन विस्तार, 14, अशोक मार्ग,
लखनऊ–226001
ई–मेलः serapdrpparta@gmail.com,
se.it@uppcl.org
serebsuppcl@gmail.com
फोनः 0522–2288801

U.P. Power Corporation Ltd.
R-APDRP Part-A Unit
5th Floor Shakti Bhawan Extn,14, Ashok Marg,
Lucknow-226001
E-mail- serapdrpparta@gmail.com,
se.it@uppcl.org
serebsuppcl@gmail.com
Phone: 0522-2288801

संख्याः 104 /आर–एपीडीआरपी पार्ट–ए/ दिनॉक 23/01 /2019

मुख्य अभियन्ता (वा0 एवं ऊर्जा लेखा)
उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

विषयः औद्योगिक फीडरों के नियोजित आउटेजों की सूचना उ0प्र0 पाकालि0 एवं डिस्काम की वेबसाइट के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने तथा PWD/ESD की अनापत्ति सम्बन्धी लिंक निवेश मित्र पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

कृपया आपके पत्र संख्या [illegible] सन्दर्भ ग्रहण कराने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है किः–

1. डिस्काम द्वारा औद्योगिक फीडरों के नियोजित आउटेजों की सूचना को उपभोक्ताओं द्वारा दिये जाने सम्बन्धी लिंक उ0प्र0 पाकालि0 की वेबसाइट uppcl.org पर उपलब्ध करा दिया गया है। वितरण खण्डों द्वारा इससे संबंधित सूचना पूर्व से कार्यरत औद्योगिक फीडरों के अनुश्रवण हेतु पोर्टल URL: feeder.myxenius.com के माध्यम से अपडेट की जा सकती है।
2. निवेश मित्र पोर्टल पर पी0डब्लू0डी0 एवं विद्युत सुरक्षा की अनापत्ति संबंधी लिंक उपलब्ध कराने हेतु उद्योग बंधु, लखनऊ में उ0प्र0 पाकालि0, पी0डब्लू0डी0 तथा एन0आई0सी0 के तकनीकी सदस्यों की दिनांक 21.01.2019 को बैठक आयोजित की गई थी। इस कार्य हेतु पी0डब्लू0डी0 तथा विद्युत सुरक्षा द्वारा API तथा URL उ0प्र0 पाकालि0 को उपलब्ध कराये जाने हैं। इसके उपरान्त उ0प्र0 पाकालि0 द्वारा अपने आवेदन पत्र में लिंक उपलब्ध करा दी जायेगी।

संलग्नक: यथोपरि।

सं0 302 मुख्य अभि0 (वा0 एवं ऊ0ले0), लखनऊ
दिनांक 24/1/19

(ए0पी0 सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता

प्रतिः–
1- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2- निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

SE(R-1)

POWER OUTAGE ROSTER REPORT

From Date : 2019-01-22 To Date : 2019-03-22

Zone: ALL Circle: ALL

ubstation: ALL

Run Date :: 22/01/2019 05:34 PM

	Zone	Circle	Division	Substation	Feeder	Meter No	Date	From Tim	To Time	Reason	Remark	Outage Type
hal	LESA Trans Gomti	EUDC-X	Bakshi Ka Talab (B.K.T.)	Kathwara_33/11 KV Kathwara	Chandrika	16037030	05/02/2019	05/02/20 10.00.0(	05/02/2019 12.00.00	Scheduled Maintenance	Preventive maintenance and fixing of	MAINTENANCE
chal	Meerut Zone	EUDC Meerut	EUDD I Meerut	Meerut_Mohkampur	Industrial - 1	PVV01182	15/02/2019	15/02/20 12.00.0(	15/02/2019 14.00.00	Scheduled Maintenance	Tree branch chopping	SCHEDULED

XENIUS
Powered by XENIA
Humanizing Machines

अर्द्धशा0प0सं0 293 /24–पी–3–2019

आलोक कुमार
आई.ए.एस.
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा एवं अति ऊर्जा
लखनऊ-226001
कार्यालय : 0522–2238122
फैक्स : 0522–2236388
email: psecup.energy@nic.in

लखनऊः दिनांकः 05 फरवरी, 2019

प्रिय अपर्णा,

मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में निवेश मित्र सिंगल विण्डो पोर्टल तथा ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के सम्बन्ध में दिनांक 04 फरवरी, 2019 को बैठक आयोजित हुई जिसकी अध्यक्षता प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री ने की।

2– बैठक में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा विद्युत वितरण निगमों से सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही की अपेक्षा की गई है :–

(1) निवेश मित्र पोर्टल का डैश बोर्ड प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक बार प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा सम्बन्धित विद्युत वितरण निगमों के प्रबन्ध निदेशकों द्वारा स्वयं देखा जाये और लम्बित मामलों का स्वयं अनुश्रवण किया जाये।

(2) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि निवेश मित्र पोर्टल पर दिए गये आवेदन पत्रों के प्रोसेसिंग की स्टेजवाइज जानकारी आवेदक को निवेश मित्र पोर्टल पर उपलब्ध हो।

(3) निवेश मित्र पोर्टल चालू होने की अवधि में विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा दो हजार से अधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए गये हैं जबकि इससे बहुत कम संख्या में विद्युत संयोजन हेतु आवेदन पत्र पोर्टल पर आये हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि बहुत बड़ी संख्या में ऑफ लाइन आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं। यह स्थिति शासनादेश का उल्लंघन है, अतः ऑफ लाइन आवेदन पत्र लेना तत्काल प्रतिबन्धित किया जाये और ऐसा करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के स्तर से भी इस स्थिति को सुनिश्चित कर लिया जाये कि इन निवेश मित्र पोर्टल से सम्बन्धित श्रेणी के आवेदकों द्वारा विभागीय वेबसाइट पर आवेदन किए जाने की स्थिति में उन्हें निवेश मित्र पोर्टल पर रि–डारेक्ट किया जाये।

(4) विद्युत संयोजन दिये जाने के लिए आवेदन पत्रों को यदि अस्वीकृत किया जाता है तो उसका पर्याप्त और स्पष्ट कारण निवेश मित्र पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाये।

3– निवेश मित्र पोर्टल शासन की एक अत्यन्त ही महत्वाकांक्षी पहल है अतः इसको सफलतापूर्वक संचालित कराने के लिए सम्बन्धित विद्युत वितरण निगमों

390/MDS/19 08/02/2019
Dir. (Com.)
06/02/19
प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0 पाकालि
C.E. Com-1/SEIT
637/DC/PCL/19 11/2/19
IMI
SE(R-I)

सं0 604 मु0अ0 (वा0 एवं उ0से0), के0मा0

के प्रबन्ध निदेशक स्वयं उत्तरदायी होंगे। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना कृपया सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)

श्रीमती अपर्णा यू0,
प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
लखनऊ।

सी0सी0– उपरोक्त की प्रति प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, पश्चिमान्चल–मेरठ/ मध्यान्चल–लखनऊ/ पूर्वान्चल–वाराणसी/ दक्षिणान्चल–आगरा एवं केस्को, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आलोक कुमार)

अशोक कुमार श्रीवास्तव
निदेशक (वाणिज्य)

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0
शक्ति भवन
14–अशोक मार्ग, लखनऊ
ई–मेल:directorcomm@uppcl.org
फोन : 0522-2287806 (O)
CIN:U32201UP1999SGC024928

पत्रांकः 88 /मु0अ0(वा0एवंऊ0ले0)/राजस्व–प्रथम/नि0मि0 दिनाँकः 08.02.19

निदेशक (वाणिज्य)
विद्युत वितरण निगम लि0
पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल
मेरठ/आगरा/वाराणसी/लखनऊ

निदेशक (वाणिज्य)
केस्को
कानपुर

विषयः– औद्योगिक फीडरों के नियोजित आउटेजों की सूचना उ0प्र0पा0का0लि0 एवं डिस्काम की वेबसाइट के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP-2019) की अनुशंसा के अनुसार डिस्कॉम द्वारा औद्योगिक फीडरों के आगामी एक माह में नियोजित आउटेजों की पूर्व सूचना उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायी जानी है। उपभोक्ताओं को यह सूचना उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाईट पर यू0आर0एल0 लिंक (https://feeder.myxenius.com/outageRoster.pdf) उपलब्ध करा दिया गया है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता नियोजित आउटेज की सूचना देख सकते हैं।

उक्त संदर्भ में यह वांछित है कि वितरण खण्डों द्वारा आगामी एक माह में नियोजित आउटेज की पूर्व सूचना औद्योगिक फीडरों के अनुश्रवण हेतु कार्यरत पोर्टल (feeder.myxenius.com) पर नियमित रूप से अपडेट की जाये, जिससे उपभोक्ताओं को यह सूचना उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से उपलब्ध रहे।

उक्त सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि सभी नियोजित आउटेज की पूर्व सूचना उक्त पोर्टल (feeder.myxenius.com) पर नियमित रूप से अपडेट किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

पत्रांकः /मु0अ0(वा0एवंऊ0ले0)/राजस्व–प्रथम/नि0मि0 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल/केस्को।

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

5. Estimate Paid Applications

उपभोक्ताओं द्वारा एस्टीमेट की धनराशि का भुगतान किये जाने के पश्चात निर्धारित समयावधि में संयोजन निर्गत कर मीटर सीलिंग सर्टीफिकेट डिजिटल सिग्नेचर सहित पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। डिस्कॉम द्वारा निवेश मित्र के उ0प्र0पा0का0लि0 पोर्टल पर ऐसे प्रकरणों को निकालकर, इनका अनुश्रवण किया जाना अपेक्षित है।

6. Redressal of Grievances

निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उनके आवेदन के सम्बन्ध में शिकायतें अंकित किये जाने का प्राविधान भी उपलब्ध है। डिस्कॉम द्वारा सभी लम्बित शिकायतों का निस्तारण कर पोर्टल पर यथोचित रिप्लाई भरकर शिकायतों को बन्द किया जाना अपेक्षित है। वेबसाइट पर शिकायतों के निस्तारण का प्रॉसेस–फ्लो संलग्नक–1 पर उपलब्ध है।

उक्त सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि डिस्कॉम में गठित एच0वी0 सेल को उक्त सभी बिन्दुओं पर नियमित रूप से अनुश्रवण किये जाने तथा सम्बन्धित सूचनाओं को संकलित किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे उ0प्र0 सरकार की यह योजना सफलतापूर्वक संचालित होती रहे एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलता रहे।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

पत्रांक : /मु0अ0(वा0एवंऊ0ले0)/राजस्व प्रथम/नि0मि0/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

संलग्नक–1

वेबसाइट पर शिकायतों के निस्तारण का प्रॉसेस–फ्लो

- Login to Nivesh Mitra portal
  https://niveshmitra.up.nic.in/nmmasters/AdminMasters/admnlogin.aspx
- On left side menu panel click on 'Administration Tasks'
- Under 'Administration Tasks' click on 'Grievance/Complaint/Feedback Inbox'
- On right side select 'NO' in 'Is Query Replied :' dropdown menu and then click on 'Show Record' button. All pending grievance will be listed
- Click on the check box in 'update' column of the grievance to be addressed, click OK on popup box
- Scroll down to bottom of the page where the grievance reply can be typed in comment box and can be submitted by clicking on 'Reply' button

Release of New Power Connection- UPPCL

Step-1 : Login & Registration

Step-2 : Creating New Unit

1. Entrepreneur Dashboard
2. Add Unit
3. Fill Applicant Details
4. Fill Unit details
5. Fill Location Details
6. Final Submission
7. Unit Id Generated

Step-3 : Apply For New Power Connection

1. Apply for Permissions/NOCs	
2. Select UPPCL Power Connection	
3. Go to View application form	
4. Industrial New Connection Form	**(STEP 1 Start)**
5. Fill Details for New Connection	(STEP 1)
6. Upload Supporting Documents (Scanned Copy)	(STEP 1)
7. Successful Submission	**(STEP 1 Complete)**
8. Application Processing Fee Payment	
–> Through Nivesh Mitra Payment Gateway	**(STEP 2 Start)**
9. Payment Intimation to Consumer	(STEP 2)
10. Fee Pending Status at Nivesh Mitra Dashboard	(STEP 2)
11. Fee Payment at Nivesh Mitra	(STEP 2)
i. Pay consolidated fee	
ii. Proceed to pay	
iii. Make payment (Bank site)	
iv. Payment success (Bank site)	
v. Successful payment **(TRANSACTION SUCCESSFUL)**	
vi. Bank Confirmation (Receipt available on NM)	
vii. Fee Paid Success Intimation on Investor Dashboard	
12. Proceed to Process New Connection Application	**(STEP 2 Complete)**
13. Connection Feasibility in Process	**(STEP 3 Start)**
14. Departmental Login for Feasibility Report	(STEP 3)
15. Departmental Login Dashboard	(STEP 3)
16. New Connection Request	(STEP 3)
17. Feasibility Study	(STEP 3)
18. Upload Feasibility Report	(STEP 3)
19. Get Estimate of Charges for Connection	(STEP 3)
20. Feeder Details Submitted Successfully	(STEP 3)
21. Feasibility Status display : Success & Pending	(STEP 3)
22. Response sent to customer dashboard	(STEP 3)
23. Cost Estimation Process	**(STEP 3 Complete)**
24. Cost Calculation in System	**(Step 4 Start)**
25. Cost Estimate Intimation to Consumer with request for Payment	(STEP 4)
26. Fee Payment	
–> Estimate Payment through UPPCL Payment Gateway	**(Step 5 Start)**
27. Consumer Payment Steps	(STEP 5)

28.	Payment Gateway Redirection	(STEP 5)
29.	**Payment Confirmation**	**(STEP 5 Complete)**
30.	Work Completion Details (select Inspection by)	**(Step 6 Start)**
31.	Work Completion Details (fill details and Update)	**(Step 6 Complete)**
32.	Metering and Connection Status	**(Step 7 start)**
33.	Connection Status	**(Step 7 complete)**
34.	Final Confirmation	**(Step 8)**

Rejection of New Power Connection- UPPCL

1. Connection Request created
2.
   i. Feasibility Status : Rejection Case – Request on Departmental Portal
   ii. Feasibility Study –Not OK Hence Connection Rejection Initiated
   iii. New Connection Request Successfully Rejected
   iv. Confirmation Sent on Nivesh Mitra Portal Regarding Connection Rejection